न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष–एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 854–दो/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.3.2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 158/97–98/अपील ।

———

1– सुघरसिंह

2– निबोरी सिंह पुत्रगण गेंदालाल प्रजापति

निवासी ग्राम आलोरी तहसील गोहद

जिला –भिण्ड मध्यप्रदेश ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती राजेश्वरी विधवा इन्द्र सिंह

2– अशोकसिंह 3– दारासिंह

4–बलवीरसिंह 5– चरनसिंह

पुत्रगण इन्द्र सिंह

6– सुनीता 7– बबीता

पुत्रीगण इन्द्रसिंह

8– प्रेमादेवी पुत्री श्रीलाल

निवासीगण ग्राम आलोरी तहसील

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 ——— अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी)

(अनावेदकगण एक पक्षीय है)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 158/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 22.3.2001 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसील गोहद के ग्राम आलोरी में स्थित भूमि सर्वे कमांक 2239 रकवा 0.941 हैक्टेयर जिसके अभिलिखत भूमि स्वामी अनावेदकगण 1 लगायत 7 के पति एवं पिता इन्द्रसिंह थे । विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 190,110 के अन्तर्गत आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक के काका पंछीपाल द्वारा संबंत् 2007 में 151/– रूपये वार्षिक लगान पर मोखिक पटटे के आधार पर भूमि की जुताई करते चले आ रहे है । पंछीपाल की मृत्यु के पश्चात रमको तथा रमको की मृत्यु के बाद आवेदकगण विवादित भूमि को मौरूषी काश्तकार के रूप में काबिज होकर कृर्षि कार्य करते चले आ रहे हैं इसलिये भूमिस्वामी के रूप में नामांतरण स्वीकार किया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा इश्तहार जारी किया तथा अनावेदकगण को नोटिस जारी किये गये । विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य आदि लेकर दस्तावेज के आधार पर आवेदकगण मौरूषी कृषक किस आधार पर बने यह प्रमाणित करने में असफल रहे जिसके कारण आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 190,110 का विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.4.91 द्वारा निरस्त किया । आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 30.4.91 से दुखी होकर अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 38/अपील/91–92 में

दर्ज होकर उसमें पारित आदेश दिनांक 12.9.91 द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाकर आवेदकगण की अपील स्वीकार की जाकर आवेदकगण को भूमि स्वामी घोषित किया गया । अनावेदक क्रमांक–8 द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के यहां अपील प्रस्तुत की गई जो 205/अपील/91–92 में पारित आदेश दिनांक 22.3.95 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी गोहद को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर उभयपक्ष को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये निराकरण करने के आदेश दिये । अनुविभागीय अधिकरी गोहद द्वारा प्रकरण में पुनः उभयपक्ष को सुनवाई करते हुये तथा अभिलेख का परिशीलन कर पारित आदेश दिनांक 25.5.98 द्वारा अपील को निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.4.91 स्थिर रखा इससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के यहां अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 158/97–98/अपील पंजीबद्ध की गई तथा उसमें पारित आदेश दिनांक 22.3. 2001 से अस्वीकार की गई जिससे दुखी होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क यह है कि विवादित कृषि खाते का पक्का कृषक भूमि स्वामी इन्द्र सिंह था तथा पंछी काका पिता का बड़ा भाई मौरूषि कृषक था पंछी की मृत्यु के पश्चात पंछी के स्थान पर उसकी पत्नी रमको का नाम मौरूषी कृषक के रूप में खसरा कॉलम न0 4 में पृविष्ट की गई है । उक्त कृषक तथा मौरूषी कृषक के रूप में पंछी तथा रमको का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा पक्का कृषक के स्वत्व उद्भूत हो चुके हैं । उन्होंने अपने तर्क में बताया है कि खसरे में उप कृषक के रूप में पृविष्टि होने पर किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि रे0नि0 1977 पेज 34 एवं रे0नि0 1972 पेज 354 में निर्धारित किया गया है । उनके द्वारा कहा गया है कि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये निगरानी स्वीकार की जावे ।

4– अपील मेमों में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के पक्ष के अभिभाषक के तर्क सुने उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

5– प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त भूमि का आवेदकगण ऐसा कोई ठोस प्रमाण एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे उनका प्रमाण सिद्ध हो सके । अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 के पति एवं पिता इन्द्रसिंह ने अनावेदक कमांक–8 प्रेमावती को भूमि विकय कर दी है अभिलिखित भूमिस्वामी इन्द्रसिंह को अपने स्वत्व की भूमि अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार रखता है । विकय पत्र द्धारा स्वत्व की भूमि प्रेमावती को अन्तरण किये जाने से विवादित भूमि पर भूमिस्वामी इन्द्रसिंह का कोई स्वत्व शेष नहीं रह जाता है और जब स्वत्व शेष नहीं रह जाता तो उसके स्थान पर आवेदकगण को संहिता की धारा 190,110 के अन्तर्गत भूमि स्वामी के स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते हैं ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 158/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 22.3.2001 में नियमों एवं न्याय के अनुरूप होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः निगरानी निरस्त की जाती है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर